दिनांक 06.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 307/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अमरोहा/थाना रजबपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना मे प्रयुक्त बुलेरो कार बरामद**

दिनॉक 06.06.2026 को थाना रजबपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फैय्याज नगर चौराहा से गांव मोहम्मदपुर की ओर मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त झम्मन उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से घटना मे प्रयुक्त बुलेरो कार बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रजबपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रजबपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–झम्मन उर्फ राजकुमार निवासी ग्राम अकबरपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–घटना मे प्रयुक्त बुलेरो कार।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना कल्यानपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण बरामद**

दिनांक 06.06.2026 को थाना कल्यानपुर, स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एल्डिको सोसाइटी के पीछे जवाहरपुरम जाने वाले मार्ग से

02 अभियुक्तों 1–विमल 2–संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा 03 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कल्यानपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कल्यानपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये गये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कल्यानपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विमल निवासी मसवानपुर थाना रावतपुर, कानपुर।

2–संतोष कुमार निवासी मसवानपुर थाना रावतपुर, कानपुर।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 1250 कि0ग्रा0 विद्युत तार/केबिल**
- **घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद**

दिनांक 06.06.2026 को थाना खुर्जानगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामपुर रोड रेलवे पुल के पास से 04 अभियुक्तों 1–सदाकत उर्फ डैनी 2–सलमान 3–फैसल 4–फैज आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 1250 कि0ग्रा0 विद्युत तार/केबिल, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना खुर्जानगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद तार चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त सदाकत उर्फ डैनी के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, विद्युत अधिनियम, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग, अभियुक्त सलमान के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, विद्युत अधिनियम, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग व अभियुक्त फैसल व फैज आलम के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, विद्युत अधिनियम आदि के लगभग आधा–आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सदाकत उर्फ डैनी निवासी अजीतपुर थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।

2–सलमान निवासी अजीतपुर थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।

3–फैसल निवासी ग्राम सिरौरा थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर हालपता–न्यू सीलमपुर थाना सीलमपुर, दिल्ली।

4–फैज आलम निवासी ग्राम अन्सैनी थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ हालपता–न्यू सीलमपुर थाना सीलमपुर, दिल्ली।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 1250 कि0ग्रा0 विद्युत तार/केबिल।

2–घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना नगला खंगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना नगला खंगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व धारा 04 पांक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भूरा को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना डिबाई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/147/149 भादवि के अन्तर्गत 04 अभियुक्तों 1–आमिर उर्फ हप्पा 2–आमिर 3–अकरम 4–विवेक को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना बडौत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बडौत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–लोकेन्द्र 2–आशीष को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त ललित मोहन को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।